[राज्य सभा में पुर:स्थापित रूप में]

2021 का विधेयक संख्यांक 4

[दि जम्मू एंड कश्मीर रिआर्गेनाइजेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019
का संशोधन करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2021 है ।

(2) यह 7 जनवरी, 2021 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 13 का संशोधन ।

2. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 13 में "अनुच्छेद 239क में" शब्दों, अंकों और अक्षर के पश्चात् "या किसी अन्य अनुच्छेद में जिसमें राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के प्रति निर्देश अन्तर्विष्ट है" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे । 2019 का 34

धारा 88 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (2) से उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(2) जम्मू-कश्मीर के विद्यमान काडर के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के सदस्य, अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ राज्यक्षेत्र काडर के सदस्य होंगे और उनका भाग बन जाएंगे तथा जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के सभी भावी आबंटन अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ राज्यक्षेत्र काडर से किए जाएंगे, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा तत्स्थानी काडर आबंटन नियमों में आवश्यक उपान्तरण किए जा सकेंगे ।

(3) ऐसे अधिकारी, जो अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ राज्यक्षेत्र काडर के हैं या आबंटित हैं केन्द्रीय सरकार द्वारा विरचित नियमों के अनुसार कार्य करेंगे ।"।

निरसन और व्यावृत्ति ।

4. (1) जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 निरसित किया जाता है । 2021 का अध्यादेश सं० 1

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के तत्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी । 2019 का 34

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करने का उपबंध करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया गया था । उक्त अधिनियम की धारा 88 में यह उपबंधित है कि विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा काडर के सदस्य विद्यमान काडरों में कार्य करते रहेंगे । जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की भारी कमी है । जम्मू-कश्मीर के विद्यमान काडरों में अखिल भारतीय अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण विकासात्मक स्कीमों, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और अन्य सहबद्ध क्रियाकलाप प्रभावित हो रहे हैं इसलिए उसका अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ राज्यक्षेत्र काडर के साथ विलय करने की आवश्यकता है जिससे इस काडर के अधिकारियों को, किसी कमी को कुछ सीमा तक पूरा करने के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में तैनात किया जा सकता है ।

2. सभी संघ राज्यक्षेत्रों के शासन में एकरूपता का उपबंध करने के तथा उनके प्रशासन में अधिक दक्षता बढ़ाने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 88 का संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई है जिससे अखिल भारतीय सेवा अर्थात् भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के संबंध में जम्मू-कश्मीर के विद्यमान काडर का अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ राज्यक्षेत्र (एजीएमयूटी) काडर के साथ विलय किया जा सके ।

3. धारा 13 में स्पष्टता लाने के प्रयोजन के लिए उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उसमें किसी अन्य ऐसे अनुच्छेद को सम्मिलित किया जा सके जिसमें जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के प्रति निर्देश अन्तर्विष्ट है ।

4. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2021, जो जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का अध्यादेश संख्यांक 1) को प्रतिस्थापित करने के लिए है, में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया गया है—

(i) उक्त अधिनियम की धारा 13 का संशोधन करना जिससे "अनुच्छेद 239क" के पश्चात् "या कोई अन्य अनुच्छेद जिसमें विधान सभा के निर्वाचन सदस्यों के प्रति निर्देश अन्तर्विष्ट है" शब्दों को अन्तरस्थापित किया जा सके ; और

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 88 का संशोधन करना जिससे अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित उपबंधों के संबंध में विद्यमान उपधारा (2) से उपधारा (6) के स्थान पर दो नई उपधाराएं प्रतिस्थापित की जा सकें ।

5. विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

अमित शाह

नई दिल्ली ;
29 जनवरी, 2021

उपाबंध

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 34) से उद्धरण

* * * * * *

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उपराज्यपाल और विधान सभा

संविधान के अनुच्छेद 239क का लागू होना ।

13. नियत दिन से ही, अनुच्छेद 239क में अंतर्विष्ट उपबंध, जो "पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र" को लागू होते हैं, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" को भी लागू होंगे ।

* * * * * *

भाग 13

सेवाओं के बारे में उपबंध

अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित उपबंध ।

88. (1) इस धारा में "राज्य काडर" पद का—

* * * * * *

(2) विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के काडरों के सदस्य, नियत दिन से ही, विद्यमान काडरों पर कार्य करते रहेंगे ।

(3) उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए जम्मू-कश्मीर के विद्यमान काडर में के वर्तमान अधिकारियों की अनंतिम सदस्य संख्या, संरचना और आबंटन ऐसा होगा, जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उपराज्यपाल, नियत दिन को या उसके पश्चात्, आदेश द्वारा, अवधारित करे ।

(4) उक्त सेवाओं में से प्रत्येक के ऐसे सदस्य, जो वर्तमान में, नियत दिन के ठीक पूर्व जम्मू-कश्मीर काडर में के थे, उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के मध्य, ऐसी रीति से और ऐसी तारीख या तारीखों से, जो केन्द्रीय सरकार, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के उपराज्यपालों के परामर्श पर, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, अंतिम रूप से आबंटित किए जाएंगे ।

(5) दोनों संघ राज्यक्षेत्रों को इस प्रकार आबंटित अधिकारी, केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित नियमों के अनुसार इन संघ राज्यक्षेत्रों में कार्य करेंगे ।

(6) भविष्य में, यथास्थिति, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए तैनात किए जाने वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र काडर के होंगे और तदनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा तत्स्थानी काडर आबंटन नियमों में आवश्यक उपांतरण किए जा सकेंगे ।

* * * * * *

MGIPMRND—1288RS(CRC)—02-02-2021.